

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुरक्षित वनाधिकार

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज


श्रीमत्प्रसाद सिंह मु. नं. 102/2021

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

तारीख हुक्म

18.10.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद पत्र न्यायालय द्वारा आज निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री पारित हो जाने से इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


18/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
जिला-नीमकायाना

